संख्या- 135 / 2016/ 1094 /चार-2016-58 (वि)/2016

प्रेषक,

सूर्यमणि लालचन्द
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 01 अगस्त, 2016

विषय:- पाण्डुलिपि पुस्तकालय इलाहाबाद द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रस्तावित प्रदर्शनी के आयोजन हेतु धनराशि रू0 59,000/- लाख की प्रशासनिक/ वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-903 /सं0नि-20(अभि0स्वी0)/2016, दिनांक 14 जुलाई, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि पाण्डुलिपि पुस्तकालय इलाहाबाद द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रस्तावित प्रदर्शनी के आयोजन हेतु धनराशि रू0 59,000/- लाख (रूपये उनसठ हजार मात्र) की प्रशासनिक/ वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कुल धनराशि रू0 59,000/- लाख (रूपये उनसठ हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1)उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा सम्पन्न कराये गये कार्यक्रमो पर व्यय का विवरण बिल बाउचर्स सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त धनराशि रू0 59,000/- लाख (रूपये उनसठ हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92- के अधीन लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर- 104 -अभिलेखागार-03- राज्य अभिलेख-42- अन्य व्यय में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(सूर्यमणि लालचन्द)
अनु सचिव।

-2

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या- 135/ 2016 /1094 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/ वित्त (ई-7) अनुभाग
7 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।